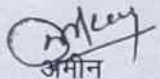


परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसांण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र।

उपरोक्त परियोजना विकासखण्ड घाट के बंगाली (बांजबगड़) से प्रारम्भ होकर विकासखण्ड थराली के रुईसांण तक जुड़ती है जिसका संरेखण हेतु सर्वेक्षण बंगाली से रुईसांण तक सयुक्त किया गया। तत्पश्चात अधीक्षण अभियन्ता महोदय द्वारा उपरोक्त परियोजना को दो भागों में विकासखण्ड घाट व विकासखण्ड थराली में आवंटित किया गया। जिससे पूर्व में किया गया वैकल्पिक समरेखण विकासखण्ड थराली में आवंटित हो गया अर्थात् उपरोक्त परियोजना हेतु वैकल्पिक समरेखण का सम्पूर्ण भाग विकासखण्ड थराली के समरेखण में निहित हैं। तथा विकासखण्ड घाट में स्थित उपरोक्त परियोजना का समरेखण का अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।



अमीन
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



अधिशाली अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

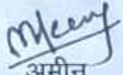


प्रमाणित किया जाता है कि
प्रमाणित किया गया कि
(चमोली)

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसांग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। तथा याचित 7.950 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।


अमीन
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

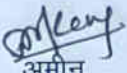

प्रशासी वनाधिकारी
वदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)


जिना अधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रूईसांण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 7.950 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में उसके दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात् 15.90 हे० में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।


अमीन
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

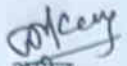

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसांण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।


अमीन
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

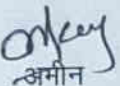

सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

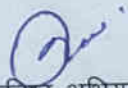

अधिशाली अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

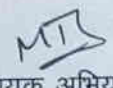
परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसांग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग के आस- पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।


अमीन
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

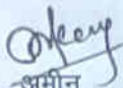

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रूईसांण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।


अमीन
लो.नि.वि
कर्णप्रयाग


कनिष्ठा अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि
कर्णप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रूईसांग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना में बाँज वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

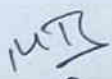
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से 37 बाँज वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

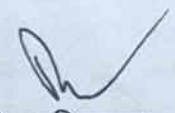

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रमाणित प्रमाण-पत्र
(चमोली)

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रूईसाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में बांजबगड़-रूईसाण मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की लम्बाई 22.00 कि.मी. (घाट क्षेत्र में 11.625 किमी०) तक नवनिर्माण कार्य हेतु मोटर मार्ग निर्माण कार्य के समय समरेखण में आने वाले वृक्षों को बचाते हुये कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा।

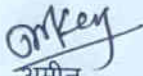

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.,
कर्णप्रयाग।

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसांग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

परियोजना से उत्पादित मलवें के निस्तारण की समानचित्र योजना

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में मलवे निस्तारण का समानचित्र योजना संलग्न की गयी है।


अमीन
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


ह. प्रभाकर
प्रभागीय वनाधिकारी
(चमोली)

परियोजना का नाम :-

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत ~~बाजबगड़~~ मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य।

उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु योजना

जनपद चमोली में निर्माण हेतु शासनादेश सं. 1110/111(2)/14-52 (प्रा.आ.) /2013 दिनांक 28.3.2012 के द्वारा विधान सभा क्षेत्र थराली के विकास खण्ड घाट में बाजबगड़ रुईसाण मोटर मार्ग नवनिर्माण हेतु कुल 22.00 किमी.(घाट क्षेत्र में 11.625 किमी0) की स्वीकृति प्राप्त हुयी है। मार्ग निर्माण के समय उत्सर्जित मलवे को इकट्ठा कर मार्ग के सुपरएलिवेशन एवं दीवारों के खाली स्थानों पर भर दिया जायेगा। इस प्रकार पर्यावरण की क्षति भी कम होगी। साथ ही भू-वैज्ञानिक द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों पर पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

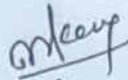


अधिशासी अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसांग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के उपरोक्त परियोजना में सिविल/ आरक्षित वन भूमि राष्ट्रीय पार्क/ वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।


अमीन
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

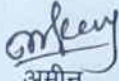

वन क्षेत्र अधिकारी
वन क्षेत्र,


प्रभासी वन अधिकारी
उप वन संरक्षक,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रूईसाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

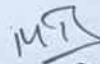
प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।



अमीन
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

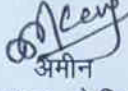


अधिशाली अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसांग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

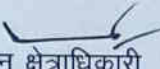
प्रमाणित किया जाता है कि विभाग द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


अमीन
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज


प्रमाणित वन क्षेत्राधिकारी
(वनोत्पत्ति)

117
परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसांण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

भू वैज्ञानिक / जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों के अनुपालन का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के कि.मी. 12.00 से कि.मी. 23.625 तक के निर्माण कार्य हेतु भू-वैज्ञानिक / जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

MT
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.,
कर्णप्रयाग।

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।


अमीन
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

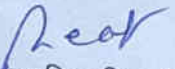

कनिष्ठा अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


राजस्व उपनिरीक्षक


तहसीलदार

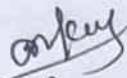

उपजिलाधिकारी


जिला अधिकारी
चमोली

119
परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसांण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


अमीन
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसांण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को जलौनी लकड़ी/ कुकिंग गैस आदि उपलब्ध कराया जाना।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिकों अथवा कर्मचारियों के लिए निर्माण एजेन्सी विभाग डीजल एवं मिट्टी का तेल की आपूर्ति ईंधन के रूप में करेगा, वन्य जलौनी लकड़ी का उपयोग उक्त कार्य में नहीं किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

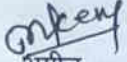

सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रूईसांण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।


अमीन
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रूईसाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वनभूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु वनभूमि के मूल्य का प्रमाण पत्र लागू नहीं है।


अमीन
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

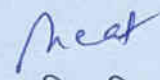

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


RSI


तहसीलदार


उपजिलाधिकारी


उपजिलाधिकारी

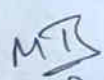

प्रभागीय वनाधिकारी
बदीनप्रब वन प्रभाग गोबरी-
(चमोली)

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसांग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर0सी0सी0 पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण प्रयोक्ता एजेसी द्वारा स्वयं के व्यय पर सीमांकन एवं आर0सी0सी0 पिलर का निर्माण किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

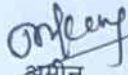

सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसांण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

स्थल विशिष्ट होने न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट नहीं है।


अमीन
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

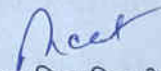

सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


RSI


बहसीलदास


वन क्षेत्राधिकारी


उपजिलाधिकारी


प्रमाणीय घनाधिकारी
(चमोली)


जिलाधिकारी
चमोली

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रूईसांण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

उपरोक्त योजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी।


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।


उप जिलाधिकारी
चमोली